प्रेस नोट दिनांक 19.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए ₹10,000/- के इनामिया एवं गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को जनपद रायबरेली से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना फतनपुर श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

दिनांक 18.11.2026 को उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 राजनरायन यादव एवं का0 रुद्रांश चौबे द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹10,000/- के इनामिया अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा उर्फ नन्हके पुत्र रमाशंकर शर्मा निवासी ग्राम सराय जमुनी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष को जवाहर बिहार कॉलोनी, मलिकमऊ, थाना मिल एरिया, जनपद रायबरेली से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित होने के कारण वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने भाई के साथ रायबरेली में किराये के मकान में छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्रीनिवास शर्मा उर्फ नन्हके पुत्र रमाशंकर शर्मा निवासी ग्राम सराय जमुनी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा उर्फ नन्हके का आपराधिक इतिहास-
(1) मु0अ0सं0 367/2025 धारा 109(1)/288/309(5)/3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
(2) मु0अ0सं0 268/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
(3) मु0अ0सं0 234/2026 धारा 2/3 गैंगेस्टर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजनाथ यादव, का0 राजनरायन यादव, का0 रुद्रांश चौबे, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।